कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656355-7 Fax 021-2612086

कमांक / बैठक / 2020 / 04173 दिनांक :: 17 जुलाई, 2020

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री मेघराज सिंह रतनू, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 15 जुलाई, 2020 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित सदस्य / अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 26 जून 2020 मे लिये गये निर्णयों की पुष्टि

गत बैठक दिनांक **26 जून 2020** का कार्यकारी समिति का कार्रवाई विवरण जारी किया जाकर सभी को प्रेषित किया जा चुका है । अतः कार्यकारी समिति की गत बैठक **26 जून 2020** का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से गत बैठक दिनांक 26 जून, 2020 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: ग्राम बड़ली खसरा संख्या 88 में जल भण्डारण हेतु पीएचईडी को भूमि आवंटन बाबत्।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज / टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	जलदाय विभाग को 26250 वर्गमीटर भूमि का आवंटन हेतु ईसी की प्रत्याशा में प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया गया है। जिसका अनुमोदन / पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।
	सम्बन्धित शाखा – आवंटन शाखा (पश्चिम)	उतरदायी अधिकारी – उपायुक्त पश्चिम

सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग उपखण्ड मण्डोर द्वारा पत्रांक 584 दिनांक 02.07.2019 को संलग्न नवीन आवंटन नीति–2015 के तहत प्रपत्र–स प्रेशित कर निवेदन किया कि ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 88 में 4 ग्राम चौखा, बड़ली, गोलासनी एवं बड़ली नेड के लिए पेयजल व्यवस्था हेतु फिल्टर प्लांट, पम्प हाउस, उच्च जलाषय, स्वच्छ जलाषय एवं भण्डारण निर्माण कार्य के लिए खसरा सख्या 88 में कुल 26520 वर्गमीटर भूमि की आवष्यकता है। इस योजना के कियान्वयन के लिए 17.22 करोड़ प्रषासनिक स्वीकृति जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग उपखण्ड मण्डोर को प्राप्त हुई है।

प्राधिकरण के पटवारी एवं पीएचईडी के अधिकारियों के साथ संयुक्त मौका निरीक्षण किया गया। मौके पर पीएचईडी के लिए प्रस्तावित भूमि जोधपुर बाईपास सड़क पर अरणा–झरणा चौराहा से बड़ली गांव की ओर जाने वाली रोड़ पर स्वामी विवेकानन्द स्कूल के सामने भूमि उपलब्ध है।

प्राधिकरण की आयोजना षाखा की रिपोर्ट अनुसार मास्टर प्लान–2031 (ड्राफ्ट) में इस भूमि का भू–उपयोग बस स्टेण्ड हेतु दर्षाया गया है। अतः जल भण्डारण हेतु भू–उपयोग परिवर्तन किया जाना आवष्यक है। भू–उपयोग परिवर्तन के लिए चैकलिस्ट एवं पत्र मुख्य नगर नियोजक जयपुर के पत्र क्रमांक 253 दिनांक 02.07.2020 को प्रेशित किये गये है।

नगरीय भूमि निस्तारण नियम–1974, राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देषों एवं आवंटन नीति–2015 के प्रावधानानुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर को किसी भी संस्था/विभाग को कीमतन भूमि आवंटन करने का अधिकार है। खसरा सख्ंया 88 में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की आवासीय योजना अरणा विहार स्थित है जिसकी आवासीय आरक्षित दर 5800/– रू प्रतिवर्गमीटर है। अतः जलदाय विभाग द्वारा आवेदित भूमि की कीमत राषि 15,22,50,000/– . 20 प्रतिषत प्रषासनिक षुल्क 3,04,50,000/– कुल कीमत राषि 18,27,00,000/– रू तथा एकमुष्त लीज राषि रू. 3,04,50,000/– जमा योग्य है। प्राधिकरण द्वारा उक्तानुसार कीमतन भूमि आवंटित की जा सकती है।

किसी भी संस्था/विभाग को भूमि आवंटन कीमत में रियायत अथवा निःषुल्क आवंटन करने का अधिकार राज्य सरकार में निहित है। अतः प्रकरण में भूमि आवंटन कीमत के संबंध में राज्य सरकार के स्तर से रियायत दी जाती है तो जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा राज्य सरकार के आदेष नियमानुसार भूमि आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के अनुमोदन की प्रत्याषा में प्रकरण राज्य सरकार को प्राधिकरण पत्रांक 125 दिनांक 06.07.2020 को प्रेशित किया गया है अतः प्रकरण आगामी कार्यकारी समिति की बैठक की प्रत्याषा में भिजवाये गये पत्र का अनुमोदन/पुश्टि हेतु निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में वर्णित ग्राम बड़ली खसरा संख्या 88 में जल भण्डारण हेतु पीएचईडी को कीमतन भूमि आवंटन के संबंध में अब तक की गई समस्त कार्यवाही की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: प्राधिकरण में रिक्त पदो के विरूद्ध आवश्यकतानुसार एंव उपयोगितानुसार लगाये गये सेवानिवृत कर्मचारीयों की कार्योन्तर स्वीकृति बाबत्।

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा/प्रस्ताव
01.	यह घोषणा की जाती हैं कि प्राधिकरण कार्मिकों के अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत होने से रिक्त हुए पदो के विरूद्ध सेवानिवृत कार्मिकों को समेकित पारेश्रमिक पर लगाये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत हैं।	एजेण्डा कार्यकारी समिति की बैठक में रखने की अभिशंषा की जाती हैं।
	सम्बन्धित शाखा – संस्थापन शाखा	उतरदायी अधिकारी –उप सचिव

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 20.02.2020 के प्रस्ताव संख्या 39–प्राधिकरण में सेवानिवृत कार्मिकों को रखने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय की पालना में प्राधिकरण में रिक्त पदो के विरूद्ध आवश्यकतानुसार एंव उपयोगितानुसार, माननीय आयुक्त महोदय के अनुमोदन उपरान्त निम्नलिखित सेवानिवृत कार्मिकों को राज्य सरकार के परिपत्र अनुसार समेकित पारिश्रमिक पर संविदा पर लगाया हैं :–

क्र.सं.	नाम	पद	पुनरीश्रित वेतन 2017 में पे लेवल	समेकित पारिश्रमिक
01.	श्री बजरंग सिंह	सेवानिवृत सहायक लेखाधिकारी–प्रथम	9300–34800 + ग्रेड वेतन 5400 पे लेवल – 13	19,500 / –
02.	श्री मों. रफिक कुरैशी	सेवानिवृत अति0 प्रशा0 अधिकारी	9300–34800 + ग्रेड वेतन 4800 पे लेवल – 12	17,400 / –
03.	श्री सतीश मूथा	सेवानिवृत वरिष्ठ सहायक	पे लेवल–11 55,500 / –	13,400 / –
04.	श्री घनश्याम शर्मा	सेवानिवृत वरिष्ठ सहायक	पे लेवल–11 58,900 / –	13,400 / –
05.	श्री मेहबूब खां	सेवानिवृत कनिष्ठ सहायक	पे लेवल–10 45,300 / –	12,000 / –
06.	श्री रामदेव	सेवानिवृत गैंगमेन	पे लेवल–4 33,700 / –	7,400 / –

उक्तानुसार प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत हैं।

प्रकरण प्राधिकरण कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत हैं

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में वर्णित सेवानिवृत कार्मिकों को राज्य सरकार के परिपत्र अनुसार समेकित पारिश्रमिक पर प्राधिकरण के रिक्त पदों के विरूद्ध आवश्यकतानुसार एवं उपयोगितानुसार संविदा पर लगाये जाने संबंधी की गई कार्रवाई की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: **जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर, अधिनियम की धारा 67 एवं धारा 31 से 35 सम्बन्धित समस्त शक्तिया सम्बन्धित जोन उपायुक्त को प्रदत्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा / प्रस्ताव
01.	यह घोषणा की जाती हैं कि प्राधिकरण अधिनियम की धारा 67 एवं धारा 31 से 35 सम्बन्धित समस्त शक्तिया सम्बन्धित जोन उपायुक्त को प्रदत्त किये जाने के सम्बन्ध में एजेण्डा नोट प्रस्तुत हैं।	एजेण्डा कार्यकारी समिति की बैठक में रखने की अभिशंषा की जाती हैं।

	सम्बन्धित शाखा – संस्थापन शाखा	उतरदायी अधिकारी –उप सचिव

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 17.04.2015 के प्रस्ताव संख्या 10–के अन्तर्गत प्राधिकरण अधिनियम की धारा 67 एवं धारा 31 से 35 सम्बन्धित समस्त शक्तिया उपायुक्त के साथ–साथ जोन तहसीलदार को भी प्रदान करने के निर्णय के क्रम में उपरोक्तानुसार शक्तिया जोन उपायुक्त के साथ–साथ जोन तहसीलदार को प्रदत्त की गई थी।

चूकि वर्तमान में तहसीलदार के स्वीकृत 4 पदो के विरूद्ध केवल 2 तहसीलदार ही कार्यरत हैं, तथा इन दोनो तहसीलदारों की पदौन्नति राजस्थान प्रशासनिक सेवा में होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा निकट भविष्य में इनका स्थानान्तरण/पदस्थापन प्राधिकरण से अन्यंत्र किया जाना सम्भावित हैं। ऐसी स्थिति में प्राधिकरण में तहसीलदारो के पद रिक्त रहने की सम्भावना एवं अतिक्रमण आदि की रोकथाम के प्रभावी क्रियान्वयन के दृष्टिगत जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर अधिनियम की धारा 67 एवं धारा 31 से 35 प्रदत्त समस्त शक्तिया तहसीलदारो से वापस लिया जाना प्रस्तावित हैं। अधिनियम की धारा 67 एवं 31 से 35 ए की समस्त कार्यवाही करने हेतु जोन उपायुक्त ही सम्बन्धित जोन में उक्त धाराओं में वर्णित कार्यवाहियो हेतु सक्षम प्राधिकृत अधिकारियों के रूप में कार्य करेंगे।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव के अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: ग्राम कांकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर के खसरा संख्या 587 में प्रस्तावित 765/400 के.वी. जी.एस. एस. निर्माण हेतु क्षेत्रफल 20.14 बीघा भूमि आवंटन के संबंध में।

क.स.	**प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा**	**प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव**
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	संयुक्त शासन सचिव के पत्र क्रमांक प1(3)/3/नविवि/जोधपुर/2020 दिनांक 22.6.2020 के निर्देशो की पालना में विद्युत विभाग को आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने की अभिशंषा प्रस्तुत है।
	सम्बन्धित शाखा – आवंटन शाखा (दक्षिण)	उतरदायी अधिकारी – उपायुक्त (दक्षिण)

दिनांक 09.12.2019 को अधीक्षण अभियंता (प्रसारण एवं निर्माण) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के निर्धारित प्रार्थना पत्र 'प्रपत्र–स' में प्रस्ताव पेश कर ग्राम कांकाणी के खसरा संख्या 587 रकबा 291.01 बीघा किस्म गै.मु. ओरण में से 17.05 बीघा (27923 व.मी.) 765/400 के.वी. जी.एस. एस. निर्माण हेतु भूमि आवंटन की मांग की गई है।

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के 'प्रपत्र–स' के बिन्दु संख्या 8 (पअ) के अंतर्गत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण) में अवगत कराया कि 400 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन एवं आवासीय कॉलोनी का निर्माण कांकाणी में हो चुका है, तथा राजस्थान सरकार द्वारा इसी ग्रिड सब स्टेशन को 400 के. वी. को अपग्रेड कर 765 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन बनाने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है, जिसके लिये राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को 20 बीघा 14 बिस्वा

ग्राम कांकाणी खसरा संख्या 587 में से अतिरिक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की 20.14 बीघा भूमि की आवश्यकता होगी। इसके निर्माण से पश्चिमी राजस्थान को अच्छी गुणवत्ता की बिजली की निरंतर उपलब्धता तथा सौर व पावन से उत्पन्न होने वाली उर्जा को प्रसारण करने में सहायक होगी।

दिनांक 18.12.2019 को जोधपुर विकास प्राधिकरण के पटवारी एवं सहायक अभियंता रा.रा.वि.प्र.नि.लि. जोधपुर द्वारा आवेदित/प्रस्तावित स्थल का संयुक्त मौका–निरिक्षण किया गया। मौका–रिपोर्ट अनुसार प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2011 में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को ग्राम कांकाणी के खसरा संख्या 587 में 400 के.वी. जी.एस.एस. निर्माण हेतु 140 बीघा भूमि कीमतन आवंटन की गई थी। उक्त 400 के.वी. जीएसएस से लगती हुई भूमि का चयन किया गया है। मौके पर ग्राम कांकाणी के खसरा संख्या 587 रकबा 291.01 किस्म गै.मु. ओरण राजस्व रिकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज भूमि में से 20.14 बीघा भूमि आवंटन योग्य पाई गई।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित/प्रस्तावित भूमि का भू–उपयोग मास्टर प्लान –2031 (ड्राफ्ट) अनुसार यू–2 दर्शाया गया है। आयोजना शाखा में उपलब्ध आपत्ति सुझाव विश्लेषण मास्टर प्लान – 2031 (ड्राफ्ट) अनुसार उक्त खसरा विशेष पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। मास्टर प्लान –2031 (ड्राफ्ट) डी.सी.आर अनुसार यू–2 में पब्लिक एण्ड सैमी पब्लिक यूज में इलेक्ट्रीक–पावर प्लान्ट को 18 मीटर (60 फीट) व अधिक मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय दर्शाया गया है।

प्राधिकरण में उपलब्ध रेकर्ड के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय में कोई वाद–विवाद एवं स्थगन आदेश नहीं है। आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकरण के पत्र क्रंमाक 2016 दिनांक 23.12.2019 को राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड से प्राप्त प्रस्ताव को प्राधिकरण की वेब साईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिये अपलोड किया गया है। जिसके अंतर्गत आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय को लिखित में प्राप्त नहीं हुई है।

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को पूर्व में (वर्ष 2011 में) आवासीय आरक्षित दर 1320/– रू व 20 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क 264/–रू. प्रतिवर्गमीटर कुल आवंटन दर 1584/– रू प्रतिवर्गमीटर की 50 प्रतिशत दर 792/– प्रतिवर्गमीटर की दर पर आवंटन की गयी थी जिसकी राशि विद्युत विभाग द्वारा रसीद नं. 9001/21651 दिनांक 21.1.2011 को प्राधिकरण कोष में जमा कराए है तथा **आवंटन नीति 2015 के बिन्दु संख्या 6.3 के अनुसार किसी भी संस्था के लिए आवंटन की विशष रियायती दर राज्य सरकार द्वारा आदेशित हो जाने के बाद उसके द्वारा अपनी परियोजना के लिए अतिरिक्त भमि की मांग नही की जायेगी और यदि वह आवंटित भूमि में से लगती हुई अतिरिक्त भूमि की मांग करता है तो आवंटित की जाने वाली अतिरिक्त भूमि पर कोई छूट देय नही होगी तथा यह आवंटन प्रचलित आरक्षित दर अथवा डीएलसी प्लस 20 प्रतिशत, जैसी भी स्थिति हो, पर किया जायेगा।**

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 20.02.2020 के प्रस्ताव संख्या 37 में 765/400 के.वी. जी.एस.एस. निर्माण हेतु व्यवसायिक आरक्षित दर 8520/– रू प्रतिवर्गमीटर की दर पर कीमतन भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया है तथा कार्यकारी समिति की बैठक के निर्णय की पालना में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को आवंटन पत्र दिनांक 26.02.2020 को जारी किया गया है।

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड न्यू पॉवर हाऊस रोड़ जोधपुर के अधीक्षण अभियंता (टी एण्ड सी) के पत्रांक 2925 दिनांक 27.02.2020 के पत्रानुसार निवेदन किया है कि विभाग को आवंटन पत्र 3089 दिनांक 24.02.2020 द्वारा व्यवसायिक आरक्षित दर

8520/– रू प्रतिवर्गमीटर की दर पर आवंटित की गई है परन्तु राज्य सरकार की भूमि आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 9.3 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा पोषित मण्डल/निगम/उपक्रम को आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर आवंटन करने का प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में सचिव राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा दिनांक 14.05.2020 को पत्र प्रेषित किया गया था। सचिव, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जयपुर को प्राधिकरण पत्रांक 4090–91 दिनांक 27.05.2020 को पत्र प्रेषित कर निवेदन किया कि आवंटन पत्र में अंकित भूमि की कीमत में संशोधन/कमी की कार्यवाही राज्य सरकार के स्तर पर ही किया जाना संभव है। प्राधिकरण स्तर पर जारी आवंटन पत्र में अंकित भूमि की कीमत में संशोधन किया जाना संभव नहीं है। अतः आवंटन पत्र में कीमत राशि का संशोधन राज्य सरकार द्वारा ही किया जा सकता है।

प्रसारण निगम द्वारा खातेदारों से सीधे क्रय की गई भूमि को 11.60 लाख से 13.44 लाख प्रतिबीघा की दर से किया गया है जिसके पंजीकृत विक्रय पत्र प्रस्तुत किए गए है।

नगरीय विकास विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प1(3)नविवि/जोधपुर/2020 दिनांक 22.06.2020 के द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर को लिखा गया है कि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को 765/400 केवी जीएसएस हेतु ग्राम कांकाणी खसरा नं. 587 में 20.14 बीघा भूमि का आवंटन आवासीय आरक्षित दर पर किया जावें। अतः आवासीय आरक्षित दर 1320/– प्रतिवर्गमीटर को प्रत्येक 3 वर्ष पश्चात 10 प्रतिशत वृद्दि करने पर उक्त क्षेत्र की आवासीय आरक्षित दर 1757 /– प्रतिवर्गमीटर होती है तथा 20 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क 351/– प्रतिवर्गमीटर होते है कुल आवंटन दर 2108/– प्रतिवर्गमीटर की दर से 20.14 बीघा अर्थात् 32600.41 वर्गमीटर से 68721664.28/– कीमत होती है एवं एकमुश्त लीजराशि 27488665.7/– होते है।

राज्य सरकार के आदेशों के परिपेक्ष्य में आरक्षित दर पर आवंटन किया जाने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में वर्णित अनुसार नगरीय विकास विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प1(3)नविवि/जोधपुर/2020 दिनांक 22.06.2020 में प्रदत्त निर्देशानुसार राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को 765/400 केवी जीएसएस हेतु ग्राम कांकाणी खसरा नं. 587 में 20.14 बीघा भूमि का आवंटन प्रस्ताव में वर्णित कुल आवंटन दर 2108/-- प्रतिवर्गमीटर की दर से आवंटन करने का निर्णय लिया गया। नियमानुसार अन्य शुल्क यथा लीज आदि देय होंगे।

प्रस्ताव संख्या 6 :: राजस्व ग्राम बासनी बाघेला के खसरा संख्या 58/2 के ब्लॉक नम्बर 09 का कुल रकबा 20 बीघा 2 बिस्वा में से 1226.13 वर्गमीटर के जोधपुर मास्टर प्लान 2023 में आरक्षित वर्तमान भू–उपयोग स्कूल प्रयोजनार्थ से वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन बाबत्।

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के संबंध में अभिशंषा /प्रस्ताव
1	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छुपाया नही गया	जोधपुर मास्टर प्लान–2023 में आरक्षित वर्तमान भू–उपयोग स्कूल प्रयोजनार्थ से वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ हेतु भू–उपयोग परिवर्तन हेतु राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को निर्णयार्थ भिजवाया

	है।	जाना प्रस्तावित है।
	सम्बन्धित शाखा – भू–उपयोग परिवर्तन शाखा	उतरदायी अधिकारी – निदेशक आयोजना

एजेण्डा नोटः– राजस्व ग्राम बासनी बाघेला के खसरा संख्या 58/2 के ब्लॉक नम्बर 09 का कुल रकबा 20 बीघा 2 बिस्वा में से 1226.13 वर्गमीटर के जोधपुर मास्टर प्लान 2023 में आरक्षित वर्तमान भू–उपयोग स्कूल प्रयोजनार्थ से वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन करने के संबंध में। (आवेदकः–श्री मोहम्मद अकरम पुत्र श्री मोहम्मद हनीफ जी।)

वरिष्ठ प्रारूपकार की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बासनी बाघेला के खसरा संख्या 58/2 का भू–उपयोग स्कूल प्रयोजनार्थ आरक्षित है, उक्त भूखण्ड जोधपुर–पाली सड़क के पश्चिम दिशा में स्थित है। जिसमें मास्टर प्लान 2023 अनुसार सड़क मार्गाधिकार 200' है।

पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड में पक्का एवं टिन सेड का निर्माण हो रहा है एवं व्यवसायिक उपयोग हो रहा है। भूखण्ड पाली–जोधपुर मुख्य सड़क के मध्य से 75' फीट दूर स्थित है।

प्रश्नगत भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आम सूचना जारी की जा चुकी है तथा निर्धारित समयावधि 15 दिवस में अगर उजर ऐतराज नही पाया गया तो अग्रिम कार्यवाही की जावेगी अन्यथा सक्षम स्तर पर नियमानुसार निस्तारण करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही विधि शाखा एवं आवाप्ति शाखा की रिपोर्ट ली जाकर अग्रिम कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आवेदित भूमि का स्कूल प्रयोजनार्थ से वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को निर्णयार्थ भिजवाया जाना प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक– 12.04.2018 अनुसार होटल प्रयोजनार्थ गतिविधियों को व्यापक जनहित माना है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक– 21.11.2019 के अनुसार स्थानीय स्तरीय समिति की वृहद जनहित में भू–उपयोग परिवर्तन हेतु औचित्यपूर्ण टिप्पणी व स्पष्ट अनुशंषा के साथ प्रकरण राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति में विचारार्थ भिजवाया जाना अपेक्षित है, तथा साथ ही उक्त उक्त भू–उपयोग परिवर्तन से पर्यटन ईकाई के क्षेत्र में बढावा मिलेगा तथा रोजगार की संभावनाओं में भी बढोत्तरी होगी।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में वर्णित भूमि के उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने के संबंध में जनहित याचिका गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/निर्देश, भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने के पश्चात् नवीन पट्टा जारी करने तथा आवासीय से वाणिज्यिक भूमि रूपान्तरण की कार्रवाई के संबंध में, समय समय पर राज्य सरकार द्वारा आदेशों के परिपेक्ष्य में तथा अन्य आवश्यक बिन्दुओं के संबंध में प्रकरण का परीक्षण कर प्रकरण आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: राजस्व ग्राम बासनी बाघेला के खसरा संख्या 58/2 के ब्लॉक नम्बर 08 का कुल रकबा 20 बीघा 2 बिस्वा में से 1226.13 वर्गमीटर के जोधपुर मास्टर प्लान 2023 में आरक्षित वर्तमान भू–उपयोग स्कूल प्रयोजनार्थ से वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन बाबत्।

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के संबंध में अभिशंषा /प्रस्ताव
1	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छुपाया नही गया है।	जोधपुर मास्टर प्लान–2023 में आरक्षित वर्तमान भू–उपयोग स्कूल प्रयोजनार्थ से वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ हेतु भू–उपयोग परिवर्तन हेतु राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को निर्णयार्थ भिजवाया जाना प्रस्तावित है।
	सम्बन्धित शाखा – भू–उपयोग परिवर्तन शाखा	उतरदायी अधिकारी – निदेशक आयोजना

एजेण्डा नोटः– राजस्व ग्राम बासनी बाघेला के खसरा संख्या 58/2 के ब्लॉक नम्बर 08 का कुल रकबा 20 बीघा 2 बिस्वा में से 1226.13 वर्गमीटर के जोधपुर मास्टर प्लान 2023 में आरक्षित वर्तमान भू–उपयोग स्कूल प्रयोजनार्थ से वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन करने के संबंध में। (आवेदकः–श्री अयूब खां पुत्र श्री मोहम्मद हनीफ जी।)

वरिष्ठ प्रारूपकार की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बासनी बाघेला के खसरा संख्या 58/2 का भू–उपयोग स्कूल प्रयोजनार्थ आरक्षित है, उक्त भूखण्ड जोधपुर–पाली सड़क के पश्चिम दिशा में स्थित है।जिसके मास्टर प्लान 2023 अनुसार सड़क मार्गाधिकार 200' है।

पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड में पक्का एवं टिन सेड का निर्माण हो रखा है एवं व्यवसायिक उपयोग हो रहा है। मौके पर भूखण्ड पाली–जोधपुर मुख्य सड़क के मध्य से 75' फीट दूर स्थित है।

प्रश्नगत भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आम सूचना जारी की जा चुकी है तथा निर्धारित समयावधि 15 दिवस में अगर उजर ऐतराज नही पाया गया तो अग्रिम कार्यवाही की जावेगी अन्यथा सक्षम स्तर पर नियमानुसार निस्तारण करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही विधि शाखा एवं आवाप्ति शाखा की रिपोर्ट ली जाकर अग्रिम कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आवेदित भूमि का स्कूल प्रयोजनार्थ से वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को निर्णयार्थ भिजवाया जाना प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक– 12.04.2018 अनुसार होटल प्रयोजनार्थ गतिविधियों को व्यापक जनहित माना है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक– 21.11. 2019 के अनुसार स्थानीय स्तरीय समिति की वृहद जनहित में भू–उपयोग परिवर्तन हेतु औचित्यपूर्ण टिप्पणी व स्पष्ट अनुशंषा के साथ प्रकरण राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति में विचारार्थ भिजवाया जाना अपेक्षित है, तथा साथ ही उक्त उक्त भू–उपयोग परिवर्तन से पर्यटन ईकाई के क्षेत्र में बढावा मिलेगा तथा रोजगार की संभावनाओं में भी बढोत्तरी होगी।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में वर्णित भूमि के उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने के संबंध में जनहित याचिका गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/निर्देश, भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने के पश्चात् नवीन पट्टा जारी करने तथा आवासीय से वाणिज्यिक भूमि रूपान्तरण की कार्रवाई के संबंध में, समय समय पर राज्य सरकार द्वारा आदेशों के परिपेक्ष्य में तथा अन्य आवश्यक बिन्दुओं के संबंध में प्रकरण का परीक्षण कर प्रकरण आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 8 :: राजस्व ग्राम बोरानाडा के खसरा संख्या 103/5, 103/6, 103/7, 103/9, 103/10 कुल रकबा 08 बीघा 4 बिस्वा के जोधपुर मास्टर प्लान 2023 में आरक्षित वर्तमान भू–उपयोग आवासीय से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन बाबत्।

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के संबंध में अभिशंषा /प्रस्ताव
1	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छुपाया नही गया है।	जोधपुर मास्टर प्लान–2023 में आरक्षित वर्तमान भू–उपयोग आवासीय से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ हेतु भू–उपयोग परिवर्तन हेतु राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को निर्णयार्थ भिजवाया जाना प्रस्तावित है।
	सम्बन्धित शाखा – भू–उपयोग परिवर्तन शाखा	उतरदायी अधिकारी – निदेशक आयोजना

राजस्व ग्राम बोरानाडा के खसरा संख्या 103/5, 103/6, 103/7, 103/9, 103/10 कुल रकबा 08 बीघा 4 बिस्वा के जोधपुर मास्टर प्लान 2023 में आरक्षित वर्तमान भू–उपयोग आवासीय से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन करने के संबंध में। (आवेदकः– वैभव डोशी पुत्र श्री निरंजन डोशी, श्रीमती अर्चिता टाटिया पत्नि श्री रूपेश टाटिया।)

कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 03 सितम्बर, 2019 के प्रस्ताव संख्या 10 में निर्णय लिया गया कि पूर्व में इस क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा 40 फीट सड़क पर भूखण्डों के ले–आउट प्लान पारित किये है। लेकिन वर्तमान नियमों के तहत प्रकरण में न्यूनतम 60 फीट चौडी सड़क (पहुंच मार्ग) होना अनिवार्य है। अतः पहुंच मार्ग प्रार्थी द्वारा स्वयं 60 फीट सुनिश्चित करने पर प्रकरण पुनः प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार राजस्व रेकर्ड में ग्राम बोरानाडा के खसरा संख्या 103/5(2.13 बीघा), 103/6 (0.14 बीघा), 103/7 (2.13 बीघा), 103/9 (1.02 बीघा), 103/10 (1.02 बीघा) राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज है। खसरा संख्या 103/5, 103/6, 103/7 वैभव डोशी पुत्र श्री निरंजन कुमार एवं श्रीमती अर्चिता टाटिया पत्नि श्री रूपेश टाटिया के नाम एवं खसरा संख्या 103/9, 103/10 वैभव डोशी पुत्र श्री निरजंन कुमार के नाम दर्ज है, मौके पर उक्त भूमि में भवन निर्मित है। उक्त भूमि हेतु पहुंच मार्ग खसरा संख्या 102 के स्वीकृत प्लान से 80′ फीट की सड़क प्राप्त हो रही है। एवं भूखण्ड संख्या 121 के पट्टा विलेख (पत्रावली में सलंग्न) में से 80′ फीट की सड़क प्राप्त हो रही है।

वरिष्ठ प्रारूपकार की रिपोर्ट अनुसार भू–उपयोग जोधपुर मास्टर प्लान–2023 के अन्तर्गत वर्तमान भू–उपयोग आवासीय है, एवं प्रस्तावित मास्टर प्लान की 200′ फीट की सड़क (उत्तरी दिशा) पर लगती हुई है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार आवेदित भूमि को एच.टी. लाईन के नीचे से पहूँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है, जिसमें एच.टी. लाईन की क्षमता अनुसार सेफ्टी कोरीडोर व उसके पश्चात् 12 मीटर चौडी सड़क का प्रावधान रखा जाना अपेक्षित है।

आवेदित भूमि का आवासीय से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को निर्णयार्थ भिजवाया जाना प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक– 20.07.2017 अनुसार शैक्षणिक प्रयोजनार्थ गतिविधियों को व्यापक जनहित माना है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक– 21.11.2019 के अनुसार स्थानीय स्तरीय समिति की वृहद जनहित में भू–उपयोग परिवर्तन हेतु औचित्यपूर्ण टिप्पणी व स्पष्ट अनुशंषा के साथ प्रकरण राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति में विचारार्थ भिजवाया जाना अपेक्षित है, तथा साथ ही उक्त भू–उपयोग परिवर्तन से आवेदित भूमि के आस–पास शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार होगा तथा रोजगार की संभावनाओं का भी विस्तार होगा।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण को प्राधिकरण की भू–उपयोग परिवर्तन की अनुशंषा के साथ राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को निर्णयार्थ प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 9 :: राजस्व ग्राम भाकरासनी के खसरा संख्या 189/3, 189/7 रकबा 1879.95 वर्गगज के वर्तमान भू उपयोग औद्योगिक प्रयोजनार्थ से वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ हेतु भू–उपयोग परिवर्तन।

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के संबंध में अभिशंषा /प्रस्ताव
1	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छुपाया नही गया है।	जोधपुर मास्टर प्लान–2023 में आरक्षित वर्तमान भू–उपयोग औद्योगिक प्रयोजनार्थ से वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ हेतु भू–उपयोग परिवर्तन हेतु राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को निर्णयार्थ भिजवाया जाना प्रस्तावित है।
	सम्बन्धित शाखा – भू–उपयोग परिवर्तन शाखा	उतरदायी अधिकारी – निदेशक आयोजना

ग्राम भाकरासनी के खसरा संख्या 189/3, 189/7 रकबा 1879.95 वर्गगज भूमि का वर्तमान भू–उपयोग औद्योगिक प्रयोजनार्थ से वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन करने के संबंध में। (प्रकरण संख्या एफ.37/भूउप/09/2020 आवेदक श्री सुनील विश्नोई पुत्र श्री मलखान विश्नोई।)

आवेदकगण द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो समाचार–पत्र यथा दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक– 02 जुलाई, 2020 एवं राजस्थान पत्रिका के अंक दिनांक– 02 जुलाई, 2020 में आम सूचना का प्रकाशन किया गया। जिसके क्रम में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

वरिष्ठ प्रारूपकार की रिपोर्ट अनुसार भूमि का वर्तमान भू–उपयोग लैण्ड युज प्लान–2023 के अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजन के अन्तर्गत आरक्षित है।

कनिष्ट अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार भूमि मौके पर रिक्त है, तथा आवेदित भूमि 200′ पाली रोड़ पर स्थित है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम भाकरासनी के खसरा संख्या 189/3, 189/7 के मौके अनुसार भूखण्ड रिक्त है। चार दीवारी की हुई है। मौके पर 200′ सडक सीमा की पालना की हुई है। राजस्व रेकर्ड खसरा सं. 189/3, 189/7 की भूमि का स्वामित्व खातेदार सुनील विश्नोई पुत्र मलखान सिंह विश्नोई के नाम दर्ज है।

आवेदित भूमि आवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है, एवं इस संबंधित कोई वाद न्यायालय में लंबित नहीं है।

आवेदित भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ से वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन करने की अनुशंषा राज्य सरकार को की जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक– 23.05.2018 में उल्लेखित प्रावधानुसार वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ गतिविधियों को व्यापक जनहित माना गया है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक– 21.11.2019 के अनुसार स्थानीय स्तरीय समिति की वृहद जनहित में भू–उपयोग परिवर्तन हेतु औचित्यपूर्ण टिप्पणी व स्पष्ट अनुशंषा के साथ प्रकरण राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति में विचारार्थ भिजवाया जाना अपेक्षित है।

आवेदित भूमि के पास 2 कि.मी. क्षेत्र में वर्तमान में कोई पेट्रोल पम्प संचालित नहीं है, परन्तु गत कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक– 20 फरवरी, 2020 के प्रस्ताव संख्या 12 में एक अन्य प्रकरण नैनुराम विश्नोई पुत्र श्री कानाराम (प्रकरण संख्या 26/2019 ग्राम भाकरासनी खसरा संख्या 189 रकबा 2400 वर्गगज) पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ हेतु प्रक्रियाधीन है, जिसे कार्यकारी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को प्रेषित किया जाना है, जो कि प्रस्तुत प्रकरण के दो कि.मी. के क्षेत्र में प्रस्तावित है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श के दौरान उपस्थित श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक द्वारा अवगत कराया कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में यह प्रावधान किया गया कि दो किलोमीटर परिधि क्षेत्र में यदि कोई पेट्रोल पम्प नहीं होता है तो व्यापक जनहित में मानते हुए पेट्रोल पम्प अनुमत किया जा सकता है। इसी क्षेत्र में एक अन्य पेट्रोल पम्प के भू–उपयोग परिवर्तन का प्रकरण राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को पूर्व में प्रेषित किया हुआ है जिसके सबंध में निर्णय अभी अपेक्षित है।

अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से पूर्व में प्रेषित पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ प्रेषित भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरण में आवेदित भूमि तथा इस प्रस्ताव में वर्णित प्रश्नगत भूमि की दूरी तथा अन्य मानदण्डों के संबंध में पूरे तथ्यों का समावेश कर प्रकरण राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को निर्णयार्थ प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 10 :: राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 114/2, 114/5, 115, 115/2, 120, 122/5, 124, 124/1, 125/1 से 5 व 126, 127 व ग्राम गंगाणा के खसरा संख्या 210, 211, 212 में स्थित आसान रियल्टी प्रा.लि. की योजना का सुविधा क्षेत्र आवंटन करने के संबंध में।

महोदय,

प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 26.06.2020 के प्रस्ताव संख्या 29 के अतंर्गत बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि प्रस्तुत प्रस्ताव अस्पष्ट है तथा प्रावधानों के अनुसार विकासकर्ता को आवंटित किये जाने वाले 1/2 हिस्सा का क्षेत्र का विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सम्मति से राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के तहत सुविधा क्षेत्र में आवंटन के संबंध में प्रचलित प्रावधान एवं प्रक्रिया पूर्ण परिक्षण कर आवंटन योग्य सुविधा क्षेत्र का स्पष्ट प्रस्ताव आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

सहारा सिटी होम्स का राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 114/2, 114/5, 115, 115/2, 120, 122/5, 124, 124/1, 125/1 से 5 व 126, 127 व ग्राम गंगाणा के खसरा संख्या 210, 211, 212 कुल रकबा 203.06 बीघा का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, जोधपुर जोन, जोधपुर द्वारा दिनांक 20.01.2007 को अनुमोदित किया गया तत्पश्चात प्रकरण में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 20.11.2011 को संशोधित किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पालना में सहारा सिटी होम्स से आसान रियल्टी प्रा. लि. द्वारा भूमि खरीद की गई। आसान रियल्टी प्रा.लि. द्वारा प्रस्तुत संशोधित ले-आउट प्लान बैठक दिनांक 19.07.2017 को स्वीकृत किया जाकर दिनांक 03.10.2018 को ले-आउट प्लान जारी किया गया। प्रकरण में भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-बी के तहत आदेश पारित किये जाकर भूमि प्राधिकरण के नाम हो चुकी है। तत्पश्चात प्राधिकरण में मांग-राशि जमा होने पर दिनांक 05.11.2018 को योजना में आसान रियल्टी प्रा.लि. को पटटे जारी किये जा चुके है।

स्वीकृत ले-आउट प्लान में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

अस्पताल	:-	4245.66 वर्गमीटर
कल्ब	:-	4260.58 वर्गमीटर
अध्यात्मिक	:-	1054.54 वर्गमीटर
कम्यूनिटी	:-	2532.36 वर्गमीटर
स्कूल	:-	9340.38 वर्गमीटर
वरशिप	:-	668.707 वर्गमीटर
सब स्टेशन	:-	3948.97 वर्गमीटर
वाटर प्लांट	:-	1469.41 वर्गमीटर
एस.टी.पी.	:-	2881.64 वर्गमीटर
टी.ई/पी.ओ.	:-	441.289 वर्गमीटर
कुलयोग	:-	**30843.52 वर्गमीटर**

आसान रियल्टी प्रा.लि. द्वारा उपर्युक्त सुविधा क्षेत्र में से राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 एवं नगरीय विकास विभाग, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र व आदेशों के तहत निम्नानुसार कुल सुविधा क्षेत्र हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 26.11.2018 को प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात कार्यकारी समिति की बैठक की पालना में कुल सुविधा क्षेत्र में से 1/2 भाग आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 03.07.2020 को प्रस्तुत किया गया है :-

अस्पताल	:-	4245.66 वर्गमीटर
कल्ब	:-	4260.58 वर्गमीटर
अध्यात्मिक	:-	1054.54 वर्गमीटर

कम्यूनिटी	:–	2532.36 वर्गमीटर
स्कूल	:–	3330.87 वर्गमीटर
		....
कुलयोग	:–	**15424.01 वर्गमीटर**
		....

प्रकरण में राज्य सरकार से प्राप्त मार्गदर्शन एवं आदेशानुसार राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत सुविधा क्षेत्र के आवंटन के संबंध में प्रावधान निम्नानुसार है:–

नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2009 पार्ट–सट जयपुर दिनांक 19.07.2018 के आदेश के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार 02 हेक्टेयर से अधिक किसी भी टॉउनशिप योजना हेतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 08.07.2011 के अनुसार 10 प्रतिशत क्षेत्र सुविधाओं के विकास हेतु विकासर्ता द्वारा स्थानीय निकाय को निःशुल्क समर्पित किया जाना है। जिसमें से 1/2 भाग में नगरीय निकाय द्वारा विद्युत उप केन्द्र (जी.एस.एस), टेलीफोन एक्सचेन्ज, ओवर हेड टैंक, ठोस, कूड़ा–करकट, संग्रह केन्द्र आदि हेतु विकसित किया जाना अपेक्षित है। शेष आधा भाग विकासकर्ता को डिस्पेन्सरी, विद्यालय आदि विकसित करने हेतु नियमानुसार आवंटन किए जाने का प्रावधान है।

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.02.2015 के अनुसार ले–आउट प्लान में सुविधा क्षेत्र में छोड़ी गई भूमि विकासकर्ता द्वारा 03 माह में आवेदन किए जाने पर आरक्षित दर पर आवंटन किए जाने का प्रावधान है। यदि विकासकर्ता सुविधा क्षेत्र आवंटन हेतु अनिच्छुक है अथवा 03 माह की अवधि में नगरीय निकाय में आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो नगरीय निकाय द्वारा आवेदन आंमत्रित कर अन्य इच्छुक व्यक्ति/संस्था को योजना अनुसार आरक्षित सुविधा क्षेत्र के विकास हेतु नियमानुसार भूमि आवंटित की जा सकती है। अतः 02 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की टाउनशिप योजनाओं हेतु सुविधा क्षेत्र की भूमि के अन्तिम उपयोग बाबत स्थिति स्पष्ट है। नगरीय निकाय द्वारा सक्षम अधिकारी अथवा ले–आउट प्लान समिति के स्तर पर उपरोक्तानुसार क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप अन्तिम उपयोग का निर्धारण किया जावें।

प्रकरण में संशोधित ले–आउट प्लान बैठक दिनांक 19.07.2017 को स्वीकृत किया जाकर दिनांक 03.10.2018 को ले–आउट प्लान जारी किया गया। आसान रियल्टी प्रा. लि. द्वारा सुविधा क्षेत्र के आवंटन हेतु पत्र दिनांक 26.11.2018 को प्रस्तुत किया गया। जो कि ले–आउट प्लान जारी दिनांक 03.10.2018 की तीन माह की अवधि में आसान रियल्टी प्रा. लि. द्वारा सुविधा क्षेत्र के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 एवं नगरीय विकास विभाग, जयपुर के आदेश दिनांक 19.07.2018 के प्रावधानुसार इस आवासीय योजना में कुल सुविधा क्षेत्र 30843.52 वर्गमीटर में से 1/2 भाग 15424.01 वर्गमीटर भूमि आवंटन किये जाने हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव अनुसार प्रकरण में वर्णित आवासीय योजना में कुल सुविधा क्षेत्र 30843.52 वर्गमीटर में से 1/2 भाग 15424.01 वर्गमीटर भूमि का आवंटन नगरीय विकास विभाग द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों/आदेशों के अध्ययधीन किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 11 :: हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) राजस्थान रिफाईनरी लिमिटेड (भारत सरकार उपक्रम) को उनके टाउनशिप के लिए भूमि आवंटित करने के संबंध में।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी. एल.) राजस्थान रिफाईनरी लिमिटेड को नियमानुसार भूमि आवंटन करने की अभिशंषा की गई है।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) राजस्थान रिफाईनरी लिमिटेड की स्थापना की जा रही है। इस हेतु एचपीसीएल द्वारा उनके अधिकारियों/कर्मचारियों के आवास हेतु टाउनशिप विकसित करने हेतु भूमि आवंटन की मांग की गई है।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 04 जुलाई 2019 के प्रस्ताव सख्या 10 में निर्णय लिया कि हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कॉपोरेशन लिमिटेड को कॉरपोरेट कार्यालय एवं उनके अधिकारियों व कर्मचारियों के आवास हेतु टाउनशिप विकसित करने हेतु भूमि का चिन्हिकरण कर हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कॉपोरेशन लिमिटेड के अधिकारी/सक्षम प्रतिनिधि द्वारा चिन्हित/आवेदित करने पर भूमि आवंटन हेतु आवश्यक कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया। भूमि आवंटन हेतु संभागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में दर निर्धारण हेतु कमेटी में दर आरक्षित, दर निर्धारण हेतु प्रकरण प्रसतुत किया जावें तथा हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कॉपोरेशन लिमिटेड को आवंटन हेतु भूमि चिन्हिकरण बाबत कार्यकारी समिति की बैठक द्वारा लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को अवगत कराते हुए पत्र की प्रतिलिपि जिला कलेक्टर महोदय जोधपुर को भी प्रेषित की जावें तथा भूमि चिन्हिकरण किये जाने पर तद्नुसार प्रकरण में भमि आवंटन की राज्य सरकार से सक्षम स्वीकृति प्राप्त की जावें।

क्र.सं.	स्थान का संक्षिप्त विवरण	उपलब्ध भूमि का रकबा
1.	ग्राम चौखा रामराज नगर योजना के पास खसरा सख्या 72	700 बीघा

जिसके क्रम में प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 433 दिनांक 19.07.2019 के द्वारा चीफ जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट एचपीसीएल राजस्थान रिफाईनरी लिमिटेड जोधपुर को उपरोक्त वर्णित स्थान का चयन कर आवंटन नीति–2015 के तहत प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।

जिसकी पालना में चीफ जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट एचपीसीएल राजस्थान रिफाईनरी लिमिटेड द्वारा अपने पत्र क्रमांक 407 दिनांक 30.07.2019 के द्वारा रामराज नगर आवासीय योजना के समीप ग्राम चौखा के खसरा संख्या 72 में कम्पनी द्वारा भूमि का चयन कर सहमति पेश करते हुए 10 एकड़ (40468.60 वं.मी.) भूमि आवंटन का प्रस्ताव आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के तहत प्रेषित किया गया है।

दिनांक 02.08.2019 को जोधपुर विकास प्राधिकरण में संभागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में केन्द्र सरकार के संगठनों को आवंटित की जाने वाली भूमि की दरों के निर्धारण हेतु बैठक आयोजित की गई जिसके अंतर्गत मूल्य निर्धारण समिति द्वारा प्रस्तावित भूमि की

आवासीय आरक्षित दर 7187/– रू प्रतिवर्गमीटर पर आवंटन दर निर्धारित करने की अनुशंषा का निर्णय लिया गया।

मास्टर प्लान–2031 (प्रारूप) अनुसार एचपीसीएल के अधिकारियों द्वारा चिन्हित भूमि जो कि ग्राम चौखा रामराज नगर योजना के पास खसरा संख्या 72 में स्थित है, का भू–उपयोग हिली एण्ड रॉकी एरिया प्रयोजनार्थ आरक्षित हैं। उक्त भूमि राजराज नगर योजना एवं राजीय गांधी आवासीय योजना के मध्य स्थित है तथा मौके पर समतल है चुंकि एचपीसीएल द्वारा प्रस्तावित टाउनशिप पश्चिमी राजस्थान का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए व्यापक जनहित की दृष्टि से उक्त भूमि का भू–उपयोग हिली एण्ड रॉकी से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन अपेक्षित है।

प्राधिकरण द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन करने हेतु प्रकरण दिनांक 04.09.2019 को सदस्य सचिव राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति कार्यालय मुख्य नगर नियोजक राजस्थान जयपुर को प्रेषित किया गया है तथा भू–उपयोग परिवर्तन हेतु दैनिक सामाचार पत्र में भी दिनांक 05.08.2019 को विज्ञप्ति जारी की गई है। **मुख्य नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति राजस्थान जयपुर के पत्रांक टीपीआर 1120/एसएलसी/जोधपुर/01/19/2413 दिनांक 18.06.2020 के अनुसार सामान्यतः हिली एण्ड रॉकी क्षेत्र की भूमि किसी प्रकार का प्रस्तावित भू–उपयोग नही है एवं इसे मास्टर प्लान मे पूर्व मास्टर प्लान 2023 में अंकित पहाड क्षेत्र व रेवेन्यू रिकॉर्ड अनुसार अंकित किया गया है जैसे कि नदी नाले आदि को अंकित किया जाता है। अतः चूंकि उक्त क्षेत्र मास्टर प्लान के प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित नही है तो प्रकरण भू–उपयोग परिवर्तन का नही है एवं भूमि का भू–उपयोग निर्धारण किया जाना है। राजस्व विभाग के पत्र कमांक प 6 (107)राज–3/19 दिनांक 17.12.19 व मास्टर प्लान रिपोर्ट में अंकित टिप्पणी अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरण पश्चात भूमि का मास्टर प्लान के अनुरूप उपयोग किया जा सकता है। वर्तमानमें इस संपूर्ण भूमि 700 बीघा का कोई विस्तृत लेण्ड यूज/डवलपमेंट प्लान जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार नही किया गया है तथा मास्र डवलपमेंट प्लान 2031 वर्तमान में प्रारूप स्तर पर ही है। अतः इस संपूर्ण क्षेत्र का विस्तृत लेण्ड यूज/डवलपमेंट प्लान तैयार कर एच.पी.सी.एल को प्रस्तावित भूमि का उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ समायोजित करते हुए प्रश्नगत 700 बीघा भूमि हेतु क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार विस्तृत भू–उपयोग निर्धारण जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्तर पर तैयार करते हुए सक्षम स्वीकृति उपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए लागू किया जा सकता है।**

एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा दिनांक 10.1.2020 को पत्र प्रेषित कर ग्राम चौखा में रेजिडेसियल टाउनशिप हेतु भूमि आवंटन के स्थान पर ग्राम झालामण्ड अथवा विवेक विहार येाजना में आवंटन करने का निवेदन किया है। चूंकि प्राधिकरण में ग्राम झालामण्ड एवं विवेक विहार योजना में भूमि उपलब्ध नही होने से उक्त क्षेत्र में भूमि आवंटन किया जाना संभव नही है जिसका पत्र एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड को प्रेषित किया गया है।

अतः प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष एचपीसीएल रिफाईनरी लिमिटेड को ग्राम चौखा के खसरा नं. 72 में 10 एकड भूमि आवंटन हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव अनुसार एचपीसीएल रिफाईनरी लिमिटेड को ग्राम चौखा के खसरा नं. 72 में 10 एकड भूमि संभागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में केन्द्र सरकार के संगठनों को आवंटित की जाने वाली भूमि की दरों के निर्धारित हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 2 अगस्त, 2019 में निर्धारित दर (प्रस्तावित भूमि की

आवासीय आरक्षित दर 7187/– रूपये प्रति वर्ग मीटर) पर कीमतन आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया। अन्य शुल्क एवं लीज आदि नियमानुसार देय होंगे।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह कार्यवाही विवरण संबंधित पत्रावली (पत्रावली संख्या बैठक शाखा/ 2019/ भाग–11 / (जे0डी0ए0/एफ0टी0एस0/94294) कार्यकारी समिति बैठक निर्धारण पत्रावली) के पैरा संख्या 48../एन पर आयुक्त महोदय के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है। उपरोक्त जारी किये जाने वाले कार्यवाही विवरण के संबंध में किसी भी सदस्य को यदि कोई आपत्ति हो तो वह कार्यवाही विवरण जारी होने के 7 दिवस में इस कार्यालय को अवगत करावें अन्यथा स्थिति में कार्यकारी समिति के निर्णय प्रभावी माने जावेंगे।

17/7/20

(हरभान मीना)
सचिव

क्रमांक/बैठक/2020/4174–4190 दिनांक :: 17 जुलाई, 2020

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
03. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
04. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
05- उपाध्यक्ष, राजस्थान स्टेट रियल एस्टेट डवलपमेंट काउन्सिल, (RAJREDCO) 307, पिंक टावर, नेहरू गार्डन के सामने, टोंक रोड, जयपुर
06. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर/ पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर
07. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम (उतर/दक्षिण) जोधपुर
08. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
09. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
10. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड/क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको–जोधपुर/बोरानाड़ा
11. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर/ प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
12. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
13. निदेशक– अभियांत्रिकी/नियोजन/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. उपायुक्त–पूर्व/ पश्चिम/ उत्तर/ दक्षिण/ मुख्यालय/ उपसचिव/ भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. अधीक्षण अभियन्ता–I/II, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
18. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
19. ....

17/7/20

(हरभान मीना)
सचिव

दिनांक 15 जुलाई, 2020 को प्रातः 11.00 बजे श्री मेघराज सिंह रतनू, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1. श्रीमती सीमा कविया, अतिरिक्त कलक्टर–शहर, जोधपुर
2. श्री जी.आर. सीरवी, मुख्य अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
3. श्री जगदीश चन्द्र व्यास, अधीक्षण अभियन्ता, सिटी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
4. श्री डी.एस. चौहान, अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
5. श्री सुनिल के. पंवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), जोधपुर
6. श्री श्याम लाल चौधरी, अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर
7. श्री चिम्माराम प्रजापत, सहायक पर्यटन अधिकारी, पर्यटन विभाग, जोधपुर
8. श्री श्रवण कुमार दाधिच, प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
9. श्री ओ.पी. सीरवी, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
10. श्री ओ.पी. पारीक, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
11. श्री लाडुराम, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. श्री जगदीश कुमार, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. श्री हरभान मीना, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर